छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड

मुख्यालय, ब्लॉक 7ए, द्वितीय तल, ऑफिस काम्पलेक्स, सेक्टर–24, अटल नगर, नवा रायपुर
Email id :- ho.est2023@gmail.com

क्रमांक / स्थापना / 2025–26 / 813-A अटल नगर, दिनांक 16 / 09 / 2025

–:: विज्ञापन ::–

छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड कार्यालय हेतु सिक्योरिटी व्यवस्था हेतु सिक्योरिटी गार्ड (08) की सेवाएं लिये जाने हेतु ई–निविदा आमंत्रित किया जाना है। ई–निविदा संबंधी नियम व शर्तो की जानकारी छत्तीसगढ़ शासन के वेबसाईट www.cgstate.gov.in के नोटिस बोर्ड पर अपलोड है। साथ ही ई–निविदा संबंधित संपूर्ण प्रकिया GeM Portal (GeM Id- GEM/2025/B36689631) के माध्यम से होगी। इच्छुक प्लेसमेंट एजेंसियाँ निम्नानुसार समय सारणी अनुसार अपना ऑफर प्रस्तुत कर सकते है :–

Tender issue date	16.09.2025
Pre Bid date & time	25.09.2025 Time 01.00 PM
Tender Submission last date & time	16.10.2025 Time 05.00 PM
Tender Open date & time	16.10.2025 Time 05.30 PM

(प्रबंध संचालक महोदया द्वारा अनुमोदित।)

ए.जी.एम. (एम.आई.एस.)
छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड
मुख्यालय नवा रायपुर

छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड

मुख्यालय, सेक्टर–24, ऑफिस कैम्पस, ब्लाक–7/ए व बी, द्वितीय तल,
अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड कार्यालय हेतु सिक्योरिटी व्यवस्था हेतु सिक्योरिटी गार्ड (08) की सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु निविदा–प्रपत्र।

निविदा सूचना क्रमांक – 812-A रायपुर, दिनांक : 16/09/2025

–: ई–निविदा प्रपत्र :–

निविदाकार/फर्म का नाम एवं पता :– .....

.....

निविदा प्रपत्र का शुल्क	निरंक
अमानत राशि	30,000.00 (तीस हजार रू. मात्र)
निविदा प्रपत्र जारी करने की तिथि	16.09.2025
निविदा जमा करने की अंतिम तिथि	16.10.2025 सायं 05. बजे तक
निविदा खोलने की अंतिम तिथि	16.10.2025 सायं 5.30 बजे
निविदा पूर्व (प्री–बीड) बैठक की तिथि	25.09.2025 अपराह्न 01.00 बजे

छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड

मुख्यालय, सेक्टर–24, ऑफिस कैम्पस, ब्लाक–7/ए व बी, द्वितीय तल,
अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड कार्यालय हेतु सिक्योरिटी व्यवस्था हेतु सिक्योरिटी गार्ड (08) की सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु निविदा–प्रपत्र।

निविदा सूचना क्रमांक –

रायपुर, दिनांक : /...../2025

–: ई–निविदा आमंत्रण प्रपत्र :–

छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड़ मुख्यालय रायपुर में सिक्युरिटी गार्ड की सेवा हेतु अनुभवी एवं योग्य फर्मो से ई–निविदा आमंत्रण की जाती है। निविदा अमानत राशि, निविदा प्रपत्र जमा करने एवं खोलने की तिथि निम्नानुसार है :–

अमानत राशिः–	30,000.00 (बिना ब्याज के वापसी योग्य)
निविदा प्रपत्र जारी करने की तिथिः–	16.09.2025
निविदा जमा करने की अंतिम तिथिः–	16.10.2025 अपरान्ह 1 बजे तक
निविदा खोलने की अंतिम तिथिः–	16.10.2025 अपरान्ह 3 बजे

उपरोक्त निर्धारित तिथि को अपरान्ह 3:00 बजे तक निविदा प्रस्ताव ऑनलाईन जमा किया जा सकता है। अपरान्ह 3:00 बजे के बाद प्राप्त निविदा को स्वीकार नहीं किया जाएगा। निविदा प्रपत्र वेबसाईट Gem (Government E-Marketplace) portal पर उपलब्ध है। निविदा प्रपत्र Gem (Government E-Marketplace) portal से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना होगा। निविदा दस्तावेजों को निविदाकार द्वारा Gem (Government E-Marketplace) portal में प्रस्तुत किया जाना है। अधिक जानकारी के लिए एजीएम (प्रशासन), छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लि. मुख्यालय रायपुर के दूरसंचार नं. 0771-2288703 Email Address:- nanheadoffice@gmail.com पर संपर्क कर सकते है। निविदा के नियम शर्त या अन्य किसी प्रकार संशोधन होने पर समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी नहीं की जाएगी। मात्र उक्त वेबसाइट में संशोधन की जानकारी दी जाएगी।

छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड

मुख्यालय, सेक्टर–24, ऑफिस कैम्पस, ब्लाक–7/ए व बी, द्वितीय तल,
अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

प्रस्तावना

छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड़ का गठन कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत् दिनांक 13.03.2001 को किया गया था, जो कि एक पंजीकृत संस्था है, जिसका मुख्यालय सेक्टर–24, ऑफिस कैम्पस, ब्लाक–7/ए व बी, द्वितीय तल में स्थापित है। कंपनी का मुख्य उद्देश्य छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य जगहों (पूरे भारत और विदेश) में खाद्यान्न, अन्य खाद्य सामग्री, खाद्य वस्तुओं जैसे गेहूं, चांवल, शक्कर, मक्का, धान, दालें और सभी प्रकार के अनाज की खरीद, भण्डारण, वितरण और परिवहन का व्यवसाय करना है।

निगम का मुख्य कार्य छत्तीसगढ़ के सुदूर आदिवासी पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को राज्य के 33 जिलों के 123 बेस डिपो के माध्यम से सरकार द्वारा निर्धारित समय पर रियायती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना है। इसके अलावा हम भारत सरकार के विनिर्देशों के तहत् मिलरो के माध्यम से मार्कफेड से चांवल भी खरीद रहे है।

छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड

मुख्यालय, सेक्टर–24, ऑफिस कैम्पस, ब्लाक–7/ए व बी, द्वितीय तल,
अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

निविदा की नियम एवं शर्तें

1. सेवा प्रदाता द्वारा निगम मुख्यालय एवं निर्देशित कार्यालयों में पूर्ण कालीक (24 घंटो की सेवाएं) 08–08 घंटों की पाली में अलग–अलग सिक्योरिटी गार्ड की व्यवस्था हेतु "सिक्योरिटी गार्ड" की सेवाएँ मानव संसाधन के रूप में उपलब्ध कराये जायेंगे। मुख्यालय रायपुर के कार्यालय भवन परिसर की सम्पूर्ण सुरक्षा के अंतर्गत कार्यालय के भीतर एवं चारों ओर का बाहरी क्षेत्र सहित भविष्य में कार्यालय भवन में शामिल होने वाले अन्य भवन क्षेत्र भी शामिल माना जायेगा। मानव संसाधन की संख्या में बढ़ोत्तरी या कमी सेवा प्राप्तकर्ता द्वारा की जा सकती हैं।

2. **EMD (ईएमडी):–**

   1) निविदाकारों को EMD (ईएमडी) राशि के रूप में रू. 30,000.00/- (तीस हजार रूपये मात्र) छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड रायपुर के नाम से NEFT/RTGS /**Internet banking** के माध्यम से निम्नानुसार बैंक खाता में जमा किया जाना अनिवार्य है:–

      खाताधारक का नाम:– छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड रायपुर
      खाता क्रमांक:–10822706427
      बैंक का नाम:– स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
      शाखा:– कमरसिंयल शाखा, पचपेडी नाका, रायपुर
      बैंक का पता:– पचपेडी नाका, पुजारी पार्क रायपुर(छ.ग.)
      IFSC CODE- SBIN0008536

   2) यह EMD (ईएमडी) राशि सफल निविदाकार की रोककर शेष को 15 दिवस में वापस की जावेगी। बिना धरोहर राशि (EMD) के निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।

   3) 500 करोड़ रूपये या उससे अधिक वार्षिक कारोबार वाले विक्रेता/सेवा प्रदाता सहित किसी भी एजेंसी को ई.एम.डी. जमा करने के लिए कोई छूट (एमएसई/एमएसएमई/स्टार्टअप) नही दी जाएगी।

   4) किसी भी एजेंसी को ई.एम.डी. जमा करने के लिए कोई छूट (एमएसई/एमएसएमई/स्टार्टअप) नही दी जाएगी।

3. सफल निविदाकार को प्रतिभूति राशि के रूप में 90,000/– (नब्बे हजार रूपये मात्र) अनुबंध के पूर्व एफ.डी.आर. (FDR) के रूप में जमा करना आवश्यक होगा। प्रतिभूति राशि जमा होने के पश्चात् EMD राशि वापस की जावेगी। उक्त पर कोई ब्याज देय नही होगा।

4. **प्लेसमेंट एजेंसी की पात्रता हेतु न्यूनतम मापदण्ड :–**

   1) शासकीय/अर्द्धशासकीय कार्यालयों में सिक्योरिटी गार्ड हेतु मानव संसाधन उपलब्ध कराने का कम से कम दो वर्ष का अनुभव हो। साक्ष्य हेतु संबंधित शासकीय/अर्द्धशासकीय कार्यालयों द्वारा जारी कम से कम दो वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र एवं संतोषजनक सेवा प्रमाण पत्र उक्त निविदा की तिथि से पूर्व में जारी (संबंधित शासकीय/अर्द्धशासकीय कार्यालयों से) सक्षम अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित कर संलग्न करना अनिवार्य होगा।

   2) निविदाकर्ता फर्म के पास समस्त वांछित लाईसेंस एवं अनुज्ञा पत्र एम्प्लाईज प्रोविडेन्ट फंड, लेबर एक्ट, जीएसटी, ईएसआईसी एवं पुलिस विभाग द्वारा जारी पसरा लाईसेंस आदि के अंतर्गत वैध पंजीयन हो।

पंजीयन प्रमाण पत्रों की स्व–प्रमाणित प्रतियां टेक्निकल बिड ऑनलाईन GeM Portal में जमा करना अनिवार्य होगा। टेक्निकल बिड क्वालीफाई होने के उपरांत ही प्राईज बिड खोली जावेगी।

3) एजेंसी का रजिस्टर्ड ऑफिस छत्तीसगढ़ राज्य में ही स्थित होना चाहिए। इस हेतु पंजीयन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
4) आयकर अधिनियम के अंतर्गत स्थायी लेखा संख्या/पेन नम्बर/जीएसटी नंबर प्राप्त हो, पेन कार्ड एवं जीएसटी पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
5) निविदा की शर्तो के अन्तर्गत मानव संसाधन की न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता एवं मासिक मानदेय (प्रति व्यक्ति/प्रतिमाह) निम्नानुसार होगी :–

क्रं.	पदनाम	संख्या	अनुमानित मानदेय एकमुश्त (प्रतिमाह/प्रतिव्यक्ति)	शैक्षणिक योग्यता
1.	सिक्योरिटी गार्ड	08	11,176.00 वर्तमान कलेक्टर दर	साक्षर, सुव्यवस्थित एवं यूनिफार्म धारक एवं शारीरिक सक्षम व्यक्ति। (सेना वर्ग के सेवानिवृत्त संवर्ग के सिक्योरिटी गार्ड को प्राथमिकता दी जावेगी।)

प्लेसमेंट एजेंसी को छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा सूचना दिये जाने पर उक्त वर्णित शैक्षणिक अर्हता तथा अनुभव रखने वाले मानव संसाधन, सूचना प्राप्त होने के 07 (सात) दिवस के भीतर उपलब्ध कराना होगा। सिक्योरिटी गार्ड की संख्या में कमी या बढ़ोत्तरी छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा समय–समय पर की जा सकेगी। प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराए गए सभी कर्मी प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा नियोजित होंगे तथा कर्मियों एवं छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड के मध्य सेवक एवं नियोजक का संबंध नहीं रहेगा। यदि कोई कर्मी कार्य के लिए उपयुक्त नहीं पाया जाता या अनुशासनहीन होना पाया जाता है तो सूचना प्राप्त होने पर प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा उसे तत्काल वापस लेना होगा तथा यदि आवश्यक हो तो उसके बदले अन्य कर्मी भेजना होगा। यदि नियोजित कर्मी द्वारा निगम/विभाग को आर्थिक हानि पहुँचायी जाती है, तो उसकी क्षतिपूर्ति की जवाबदारी प्लेसमेंट एजेंसी पर ही होगी। कर्मियों की शैक्षणिक योग्यता, अनुभव तथा मेडिकल फिटनेस, पुलिस वेरिफिकेशन, चरित्र प्रमाण सत्यापन आदि का उत्तरदायित्व प्लेसमेंट एजेंसी पर होगा। सुरक्षा कर्मियों को ड्यूटी पर यूनिफार्म में आना होगा। वर्दी एवं जूते की व्यवस्था निविदाकार द्वारा की जायेगी।

6) निविदा की स्वीकृति पत्रक जारी होने के दस दिनों के भीतर सफल निविदाकार को 100/- मात्र के नॉन–ज्यूडिसियल स्टॉम्प में अनुबंध करना होगा। निविदा के अंतर्गत अनुबंध की अवधि 02 (दो) वर्ष की होगी जिसमें आवश्यकतानुसार अनुबंध की अवधि को आपसी सहमति से 06 माह तक पूर्व में स्वीकृत दरों/शर्तो पर वृद्धि की जा सकेगी। सफल निविदाकार द्वारा दस दिवस के भीतर अनुबंध निष्पादन न करने की स्थिति में अथवा सेवा संतोषप्रद न पाये जाने पर निविदाकर्ता की अमानत/सुरक्षा राशि राजसात करते हुए भविष्य में आमंत्रित की जाने वाली निविदा हेतु काली सूची में डाल दिया जाएगा।
7) निविदाकार द्वारा नियुक्त किये जाने वाले कर्मचारियों को अनुशासन में रहकर कार्य करना होगा तथा वे अपने कार्य के दौरान कक्षों या बाहर रखे अभिलेखों व उपकरणों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे। यदि किसी अभिलेख या उपकरण को क्षति पहुंचाना पाया गया तो हानि की वसूली निविदाकार से की जावेगी तथा आवश्यक होने पर पुलिस कार्यवाही भी की जायेगी।

5. निविदा की पात्रता हेतु न्यूनतम मापदण्ड :–

1) शासकीय/अर्द्धशासकीय कार्यालयों में सिक्युरिटी कार्य में 02 वर्ष का अनुभव हो। साक्ष्य हेतु नियोक्ता द्वारा जारी अनुभव प्रमाण–पत्र एवं संतोषजनक सेवा देने संबंधी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

2) वित्तीय वर्ष 2024–25 में सिक्युरिटी कार्य संबंधी वार्षिक टर्नओवर न्यूनतम रू. 06 लाख होने का चार्टेड एकाउंटेन्ट से सत्यापित प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। प्रमाण–पत्र में सिक्युरिटी कार्य के टर्नओव्हर का उल्लेख होना अनिवार्य है। **(परिशिष्ट–03)**

3) वैधानिक पंजीयन जैसे पसरा लायसेंस, एम्लाईज प्रोविडेन्ट फंड, लेबर एक्ट आदि के अंतर्गत वैध पंजीयन हो। पंजीयन प्रमाण–पत्रों, पेन कार्ड की प्रतियां टेक्निकल बिड ऑनलाईन जमा करना होगा।

4) वित्तीय वर्ष 2023–24 (कर निर्धारण वर्ष 2024–25) के लिए जमा आयकर रिटर्न की प्रति। वित्तीय वर्ष 2024–25 की एम्पलाईज प्रोविडेंट फण्ड एवं ईएसआईसी की जमा ईसीआर चालान की प्रतियां।

5) निविदाकार को छत्तीसगढ़ शासन एवं केन्द्र शासन द्वारा समस्त प्रचलित एवं समय–समय पर जारी नियमों, निर्देशों आदेशों और अधिनियमों का पूर्ण पालन करना होगा जिसमें प्रचलित लेबर एक्ट कर्मचारी भविष्य निधि आयकर अधिनियम, दुर्घटना बीमा शासन एवं केन्द्र शासन द्वारा समस्त प्रचलित एवं समय नियम सहित अन्य संबंधित समस्त नियमों का पालन एवं उसके अनुरूप अपने कर्मचारियों को भुगतान करना होगा।

6. **प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा सिक्योरिटी गार्ड कर्मियों को भुगतानः**–प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा सिक्योरिटी गार्ड को वेतन भुगतान का साक्ष्य देयक के साथ प्रस्तुत करने पर निगम द्वारा प्रस्तुत देयक का भुगतान प्रतिमाह किया जावेगा।

निर्धारित एकमुश्त राशि में से प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा किसी प्रकार का सेवा शुल्क की कटौती नहीं की जावेगी परंतु नियमानुसार सिक्योरिटी गार्ड से प्रदत्त भविष्य निधि एवं कर्मचारी राज्य बीमा के अंश की कटौती ही की जायेगी तथा शेष राशि का भुगतान संबंधित कर्मी के बैंक खातों में जमा करना होगा।

ई.पी.एफ., ई.एस.आई.सी. आदि कटौती उपरांत जमा किये गये चालान/रसीद एवं जी.एस.टी. रिटर्न की सत्यापित छायाप्रति आगामी माह के प्रस्तुत किये जाने वाले देयक के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

उक्त शर्त का पालन न करने पर निविदाकर्ता की प्रतिभूति/सूरक्षा राशि राजसात करते हुए भविष्य की निगम में निविदा हेतु काली सूची में डाल दिया जाएगा।

7. **प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा दिया जाने वाला वित्तीय प्रस्ताव :–**

1) प्लेसमेंट एजेंसी को उपरोक्तानुसार वर्णित तथ्यों को ध्यान में रखकर, नियमों के अनुसार विभिन्न संस्थाओं में जमा किए जाने वैधानिक देय राशि का **स्पष्ट उल्लेख दर संलग्न प्रपत्र परिशिष्ट–1 में करना होगा।**

2) सेवा अनुबंध अवधि 02 (दो) वर्ष की होगी, जिसे प्रथम पक्षकार द्वारा आवश्यकता अनुसार अनुबंध की अवधि को आपसी सहमति से 06 माह तक वृद्धि की जा सकेगी।

3) यदि दो या दो से अधिक निविदादाता को वित्तीय प्रस्ताव में समान दर प्राप्त होते हैं, तो GeM की Random पद्धति द्वारा चयन किया जावेगा।

8. निविदादाता एजेंसी/फर्म/संस्था का छत्तीसगढ़ स्थित क्षेत्रीय भविष्य निधि कर्मचारी संगठन में पंजीकृत होना अनिवार्य है, पंजीयन की छायाप्रति संलग्न किया जावे। अन्य राज्य में पंजीकृत इकाई की निविदा मान्य नहीं किया जावेगा।

9. अनुबंधित संस्था/फर्म/एजेंसी द्वारा उपरोक्त सरल क्रं. 6 के अनुसार देयक प्रस्तुत करने पर मासिक रूप से देयक का भुगतान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त विगत माह में भुगतान किये गये कर्मी का कटौत्रा ई.पी.एफ./ई.एस.आई.सी. एवं जी.एस.टी. आर–3 बी का रिटर्न प्रस्तुत करना देयक के साथ अनिवार्य होगा।

10. सिक्योरिटी गार्ड कर्मी के प्रतिमाह अंशदान की राशि निर्धारित मानदेय/वेतन में सम्मिलित रहेगी तथा नियमानुसार कटौती कर जमा करने की जिम्मेदारी सेवा प्रदाता की होगी।

11. निविदाकार निविदा फार्म अविकल्प रूप से बिना कोई पृष्ठ अलग किये विधिवत पूर्ण रूप से भरकर जमा करेगा और उसके सभी पृष्ठ पर नीचे सील सहित हस्ताक्षर करेगा।

12. निविदाकार को, शासन द्वारा निर्धारित कलेक्टर दर प्रतिमाह मानदेय वेतन सिक्योरिटी गार्ड हेतु राशि रू. 11,176/– प्रतिमाह है। निविदाकार द्वारा इस दर को ध्यान में रखकर ही परिशिष्ट–1 में निविदा दरें भरी जायेंगी।

13. यदि निविदाकार कंपनी हो तो कंपनी का MOA संलग्न करना अनिवार्य होगा। फर्म पार्टनरशीप फर्म अथवा प्रोपराइटरशिप फर्म होने की दशा में भागीदारी फर्म का डीड अथवा पंजीयन प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। कंपनी की दशा में MOA में मानव संसाधन आपूर्ति करने का उद्देश्यिका कंडिका में स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिये।

14. फर्मो को अब तक उनके द्वारा देय जीएसटी, ई.पी.एफ., ई.एस.आई.सी., अन्य वैधानिक देय राशियों का शासन की संबंधित खातों में जमा करने, कोई देय राशि बकाया न होने, फर्म के पास जीवित पसरा लायसेंस उपलब्ध होने एवं किसी भी विभाग में ब्लैक लिस्टैड न होने का शपथ–पत्र **परिशिष्ट–2** में प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

15. **निविदा दस्तावेजों में संलग्न की जाने वाली अनिवार्य दस्तावेज :–**

1) 02 वर्षों का अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र/पत्रक संलग्न (शर्त क्रं. 4.1)
2) पुलिस विभाग द्वारा जारी पसरा लाईसेंस, सिक्योरिटी लाईसेंस की वैध पंजीयन पत्र की छायाप्रति संलग्न (शर्त क्रं. 4.2)
3) एम्पलाईज प्रोविडेन्ट फण्ड पंजीयन की प्रति एवं वित्तीय वर्ष 2024–25 की ईसीआर चालान की प्रतियां।(शर्त क्रं. 4.2)
4) ईएसआईसी पंजीयन की प्रति एवं वित्तीय वर्ष 2024–25 की ईसीआर चालान की प्रतियां। (शर्त क्रं. 4.2)
5) रजिस्टर्ड हेड ऑफिस छत्तीसगढ़ राज्य में ही स्थित होने का प्रमाण–पत्र (शर्त क्रं. 4.3)
6) पैन नंबर की छायाप्रति संलग्न (शर्त क्रं. 4.4)
7) जी.एस.टी. नंबर पंजीयन की जीवित छायाप्रति संलग्न (शर्त क्रं. 4.4)
8) वित्तीय वर्ष 2023–24 (कर निर्धारण वर्ष 2024–25) के लिए जमा आयकर रिटर्न की प्रति।(शर्त क्रं. 5.4)
9) वित्तीय वर्ष 2024–25 का चार्टेड एकांउटेंट से सत्यापित कम से कम रू. 06 लाख का वार्षिक टर्नओव्हर प्रमाण–पत्र टर्न ओव्हर प्रमाण–पत्र में सिक्युरिटी कार्य के टर्न ओव्हर का उल्लेख होना अनिवार्य है। (शर्त क्रं. 5.2)
10) ब्लैक लिस्टेड न होने का शपथ पत्र (अन्य शर्त क्रं. 16)
11) लेबर एक्ट वैध पंजीयन प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न (अन्य शर्त क्रं. 3)

अन्य शर्तें:–

1. नियोजित सिक्योरिटी गार्ड को वेतन भुगतान माह समाप्ति पश्चात् विभाग प्रमुख से प्राप्त माह की उपस्थिति पुष्टि प्रेषण पश्चात् आवश्यक वेतन की गणना एवं भुगतान की कार्यवाही आगामी माह के 1 से 10 तारीख तक आवश्यक रूप से करना अनिवार्य होगा। जिन सिक्योरिटी गार्ड की उपस्थिति अप्राप्त होगा उनसे संबंधित वेतन का भुगतान लंबित रखा जा सकेगा। नियोजित कर्मियों को वेतन भुगतान उक्त अवधि में आवश्यक रूप से करना अनिवार्य होगा। निविदाकार द्वारा देयक प्रस्तुती का भुगतान अप्राप्त होने के कारण नियोजित कर्मियों का वेतन लंबित नहीं रखा जा सकेगा। इस संबंध में यदि कोई शिकायत प्राप्त होती है, तो निविदा अनुबंध नियमों के अंतर्गत निगम द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा सकेगी।

2. नियोजित सिक्योरिटी गार्ड के मामले में संबंधित विभाग में जमा की गयी राशि की रसीद की छायाप्रति प्रतिमाह छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड में प्रस्तुत करना होगा, जिसके उपरांत ही अगला भुगतान किया जावेगा।

3. प्लेसमेंट एजेंसी श्रम कानूनों का पालन करने के लिए स्वयं जवाबदार रहेगी एवं आवश्यक पंजीयन संबंधित विभाग से प्राप्त करेगी एवं प्रमाण पत्र कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।

4. प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा सिक्योरिटी गार्ड मानव संसाधन उपलब्ध कराते समय सभी संबंधित कर्मचारियों को नियुक्ति आदेश मय परिचय पत्र छत्तीसगढ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरशन लिमिटेड को उपलब्ध कराया जाना होगा कर्मचारी की न्यूनतम योग्यता की पूर्ति करने की संपूर्ण जानकारी प्लेसमेंट एजेंसी की होगी।

5. उक्त सिक्योरिटी गार्ड का E.P.F. एवं E.S.I.C. कटौती नियमानुसार करना होगा। नियोजित कर्मियों की वर्णित एकमुश्त मासिक राशि का भुगतान E.P.F. एवं E.S.I.C. कटौती प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा किया जायेगा। छत्तीसगढ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा प्लेसमेंट एजेंसी को एकमुश्त देय राशि माह समाप्ति पर देयक प्रस्तुत किये जाने के उपरांत नियमानुसार ही किया जायेगा। स्वीकृत दर के अतिरिक्त किसी भी अन्य प्रकार का भुगतान नहीं किया जायेगा। GST-R1 एवं GST-R3 B की मासिक विवरणी की प्रति प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

6. प्रत्येक सिक्योरिटी गार्ड का कार्य 08 घंटे प्रतिदिन का होगा तथा संबंधित अधिकारी के निर्देशानुसार कार्य का समय निर्धारित किया जा सकेगा ।

7. संस्था द्वारा निविदा प्रपत्र में दर्शित अर्हता के अनुरूप मानव संसाधन, छत्तीसगढ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड की सहमति के उपरांत ही उपलब्ध कराया जा सकेगा।

8. कार्यालयीन समय में कोई भी सिक्योरिटी गार्ड बिना संबंधित अधिकारी की अनुमति के कार्य से अनुपस्थित नहीं रहेगा।

9. सुरक्षा एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराये सिक्योरिटी गार्ड साक्षर, सुव्यवस्थित एवं प्रतिदिन साफ–सुथरे यूनिफार्म में होना चाहिए।

10. अनुपस्थिति की अवधि में नियोजित सुरक्षाकर्मी के वेतन से कटौती की जावेगी एवं प्रति दिवस रूपये 100/- की दर से अतिरिक्त कटौत्रा की जावेगी।

11. अवकाश के दिनों में भी सिक्योरिटी गार्ड की सुविधा ली जायेगी। कार्य के दौरान प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा संतोषप्रद सेवायें प्रदान न करने की स्थिति में छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड़ एक सप्ताह के लिखित नोटिस के उपरांत उत्तर संतोषप्रद न पाये जाने पर अनुबंध निरस्त कर सकेगा।

12. सभी सिक्योरिटी गार्ड कार्यालय में कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिसमें कार्यालयीन अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आपत्ति हो। यदि आवश्यक हुआ तो या छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड के अधिकारी के कहने पर अथवा किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर जिससे निगम को किसी भी प्रकार की हानि हो, ऐसी स्थिति में प्लेसमेंट एजेंसी को खराब आचरण करने वाले कर्मी को तत्काल बदलना होगा।

13. सिक्योरिटी गार्ड की संख्या में परिवर्तन छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड, मुख्यालय नवा रायपुर के आदेश से किया जा सकेगा।

14. मानदेय/वेतन की दरें शासन द्वारा (कलेक्टर दर अनुसार) परिवर्तन किये जाने पर तदानुसार दर प्रबंध संचालक द्वारा स्वीकृति उपरांत संशोधित की जा सकेगी, इस पर अंतिम निर्णय का अधिकार निगम को होगा।

15. सेवा प्रदाता द्वारा प्रदाय किये जाने वाले व्यक्ति छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी होंगे।

16. उपरोक्त शर्तो का पालन नहीं करने पर संबंधित प्लेसमेंट एजेंसी को तीन वर्षो हेतु ब्लेक लिस्टेड करते हुए अमानत/जमानत राशि राजसात की जावेगी। **(परिशिष्ट–2 अनुसार)**

17. उभय पक्षों के मध्य इस निविदा तथा अनुबंध में कोई भी विवाद उत्पन्न होने के 60 दिवस के भीतर प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन को निराकरण हेतु प्रस्तुत किये जाएंगे। जिसका निराकरण प्रस्तुति दिनांक से 30 दिन के भीतर किया जावेगा। उक्त 30 दिनों की समय सीमा उभयपक्षों के द्वारा आपसी सहमति से बढ़ाई जा सकती है। यदि कोई पक्ष, प्रबंध संचालक द्वारा पारित निर्णय से सहमत नहीं हो तो, क्षुब्ध पक्ष उक्त विवाद को निराकरण हेतु छत्तीसगढ मध्यस्थम अधिकरण अधिनियम, 1983 के अंतर्गत गठित छत्तीसगढ़ मध्यस्थम अधिकरण, रायपुर में निर्णय हेतु प्रस्तुत कर सकता है, जिसका निराकरण छत्तीसगढ मध्यस्थम अधिकरण अधिनियम, 1983 के तहत होगा, जो अंतिम एवं बन्धनकारी होगा।

18. मानव संसाधन उपलब्ध कराने की जिम्मेदरी संबंधित फर्म की होगी। जिन लोगों को फर्म ने निगम में काम करने के लिए प्रस्तावित या चयनित किया है, उनकी योग्यता का भौतिक सत्यापन की जिम्मेदारी फर्म की होगी।

19. निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत करने तथा बिना कारण बताये निविदा निरस्त करने का अधिकार प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड के पास सुरक्षित रहेगा।

20. अनुबंध के अंतर्गत जमा अमानत राशि की वापसी अनुबंध समाप्ति के 12 माह पश्चात् होगा। इस दरम्यान यदि मानव संसाधन की सेवा किये व्यक्ति की शिकायत अथवा किसी वैधानिक संस्था द्वारा निविदाकार द्वारा दायित्वों की पूर्ति नहीं करने के संबंधी शिकायत पत्र प्राप्त होता है तो निगम द्वारा ऐसी दायित्वों का पालन करते हुए संबंधित संस्थान/व्यक्ति को राशि का भुगतान करते हुए भुगतान किये गये राशि का तीन गुना राशि दण्ड स्वरूप जमा अमानत राशि अथवा निविदाकार को देय राशि से कटौत्रा किया जावेगा। इस बाबत् निविदाकार की कोई भी आपत्ति स्वीकार नहीं होगी।

21. इस निविदा में उल्लेखित समस्त कंडिकाओं और परिशिष्टों के अभिप्राय (इंटरप्रिटेशन), व्याख्या और स्पष्टता के विषय में किसी भी प्रकार से उत्पन्न विवाद का अंतिम निर्णय कार्पोरेशन के प्रबंध संचालक द्वारा किया जावेगा, जो दोनों पक्षों (निगम एवं निविदाकार) को मान्य होगा।

(प्रबंध संचालक महोदया द्वारा अनुमोदित)

एजीएम(प्रशासन)
छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज
कार्पोरेशन लिमिटेड

परिशिष्ट–1

(GeM ऑनलाईन वित्तीय बोली प्रस्तुत करने का प्रारूप)

प्रति,

प्रबंध संचालक,
छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लि.,
सेक्टर 24, ऑफिस कॉम्प्लेक्स ब्लॉक 7 ए व बी,
द्वितीय तल, नवा रायपुर, अटल नगर,
जिला–रायपुर (छत्तीसगढ़)

विषयः– कार्मिक/सेवा प्रदाता की आउटसोर्सिंग के लिए जनशक्ति एजेंसी की नियुक्ति का प्रस्ताव।

–0–

महोदय,

जहां छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लि. द्वारा अपेक्षित मानव संसाधन के सेवा प्रदाता आदेश नियोजन के लिए निम्नानुसार उद्धरण प्रस्तुत करेंः–

कमांक	सेवा शुल्क प्रतिशत में उद्धृत

टिप्पणीः–

1. उद्धृत सेवा शुल्क 5% से कम नही होना चाहिए तथा 7% से अधिक नही होना चाहिए।
2. लागू होने पर जीएसटी अतिरिक्त देय होगा।
3. बोलीदाता की सेवा शुल्क केवल प्रतिशत में ही उद्धृत करना चाहिए।
4. सेवा शुल्क प्रतिशत केवल दो दशमलव बिंदु पर ही लिया जाएगा।
5. ई.पी.एफ., ई.एस.आई.सी. भारत सरकार के प्रचलित नियमों के अनुसार लागू होगा और इसका वहन निगम द्वारा किया जाएगा।
6. सेवा शुल्क की गणना केवल सकल वेतन/पारिश्रमिक/मजदूरी (ईपीएफ और ईएसआईसी शुल्क को छोड़कर) पर की जाएगी।
7. कुल वेतन वर्तमान कलेक्टर दर के अनुसार रू. 11176.00 है।

फर्म के मालिक /अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
का हस्ताक्षर
पूरा नाम .....
संस्था का नाम .....
संस्था का सील–मोहर

परिशिष्ट–2

(रू 50/- के स्टाम्प पेपर में नोटरी से सत्यापित शपथ–पत्र निविदा के टेक्निकल बिड में प्रस्तुत करना होगा)

शपथ पत्र

मैं.....संस्था प्रमुख निवासी .....छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लि. द्वारा जारी निविदा प्रारूप, निर्धारित नियम एवं शर्त का पूर्ण रूप से अध्ययन करने के पश्चात् ही उपरोक्त आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रहा/रही हूं। हमारे फर्म द्वारा देय जी.एस.टी., ई.पी.एफ., ई.एस.आई.सी. अन्य वैधानिक देय राशियों का शासन की संबंधित खातों में जमा किया गया है तथा हमारे नियोजित कर्मियों के कोई भी वेतन भुगतान राशि बकाया नही है। हमारे फर्म के पास जीवित पसरा लायसेंस उपलब्ध हैं। उपरोक्त आवेदन में अंकित कोई भी जानकारी अपर्याप्त/अधूरी या फिर गलत पाई जाती है तो इसे अस्वीकार/निरस्त करने का अधिकार प्रबंध संचालक को होगा। इस बारे में मेरे या संस्था के किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी तरह की अपील या आपत्ति किसी क्षेत्र में नहीं की जाएगी। मुझे छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लि. की उपरोक्त से संबंधित सभी नियम एवं शर्ते स्वीकार है।

यह कि हमारी संस्था ..... किसी शासकीय विभाग द्वारा ब्लैक लिस्टेड (काली सूची में) नही है।

स्थान.....

दिनांक.....

फर्म के मालिक /अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
का हस्ताक्षर

पूरा नाम .....

संस्था का नाम .....

संस्था का सील–मोहर

परिशिष्ट–3

टर्नओव्हर दर्शाने हेतु निर्धारित प्रपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रदायकर्ता में. .....के वित्तीय वर्ष 2022–23, 2023–24 व 2024–25 के अंकेक्षित लेखो के आधार पर उनकी फर्म/कंपनी के मानव संसाधन उपलब्ध कराने हेतु तीन वित्तीय वर्षो का टर्नओव्हर निम्नानुसार हैः–

वित्तीय वर्ष	फर्म/कंपनी के मानव संसाधन उपलब्ध कराने हेतु कुल टर्न ओव्हर
वित्तीय वर्ष 2022–23	
वित्तीय वर्ष 2023–24	
वित्तीय वर्ष 2024–25	

दिनांक.....

हस्ताक्षरः–

चार्टर्ड अकांउटेंट

नाम व सील के साथ

Firm Reg. No. ----------

Membership No. ----------

नोटः– प्रमाणित किये जाने वाले में मानव संसाधन के टर्नो को ही उपरोक्त तालिका में दर्शायेंगे।